शानदार प्रदर्शन एनटीपीसी के इंजीनियरों, संचालन और रखरखाव प्रथाओं और प्रणालियों की विशेषज्ञता का प्रमाण

एनटीपीसी में वित्तीय वर्ष 400 बिलियन यूनिट बिजली का रिकार्ड उत्पादन

स्वदेश/बिलासपुर। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 13 मार्च 2024 तक 400 बिलियन यूनिट (बीयू) उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा 399.3 बिलियन यूनिट (बीयू) बिजली उत्पादन किया गया था, जिसे यह वर्ष वित्त वर्ष ख़त्म होने के पहले ही पार कर लिया गया है। 13 मार्च 2024 तक, एनटीपीसी के कोयला स्टेशनों द्वारा 77.06% का प्लांट लोडिंग फैक्टर (पीएलएफ) दर्ज किया गया।

इससे पहले, वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने 1 सितंबर 2023 को 1428 मिलियन यूनिट (एमयू) का एक दिन का उच्चतम उत्पादन भी दर्ज किया था। एनटीपीसी इकाइयों का शानदार प्रदर्शन एनटीपीसी के इंजीनियरों, संचालन और रखरखाव प्रथाओं और प्रणालियों की विशेषज्ञता का प्रमाण है। इसके अलावा, यह उपलब्धि राष्ट्र को विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने की एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को सशक्त बनाती है। एनटीपीसी की स्थापित क्षमता 75.4 गीगावॉट है तथा 5 गीगावॉट नवीकरणीय सहित 18 गीगावॉट क्षमता निर्माणाधीन है। कंपनी 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली उत्पादन के साथ-साथ, एनटीपीसी ने ई-मोबिलिटी, वेस्ट-टू-एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन सहित विभिन्न नए व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कदम रखा है और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली वितरण के लिए बोली में भाग लिया है। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी है, जो देश में बिजली कि लगभग एक चौथाई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के विविध पोर्टफोलियो के साथ, एनटीपीसी राष्ट्र को विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ बिजली प्रदान करने के लिए समर्पित है। कंपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में कुलपति ने छात्रों को दिलाई मतदाता शपथ

स्वदेश/बिलासपुर। आगामी लोकसभा निर्वाचन एवं सभी निर्वाचनों में नागरिकों द्वारा शत-प्रतिशत मतदान करने एवं उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु जागरूक करने के लिए जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ''स्वीप'' चलाया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य एडीएन बाजपेई के द्वारा

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के छात्रों को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने हुए मतदाता शपथ दिलाई गई। स्वीप व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के लिए एक संक्षिप्त नाम है। यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदाता साक्षरता का समर्थन करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है।

शासकीय प्राथमिक शाला बिजौर का मरम्मत कार्य प्रारंभ

बिलासपुर। जिले के विकासखण्ड बिल्हा के प्राथमिक शाला बिजौर में 13 मार्च को स्टॉफ रूम के छत के प्लास्टर गिरने की जानकारी प्राप्त हुई। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर बिलासपुर से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर.साहू, रामेश्वर जायसवाल, ए.पी.सी. एवं वर्षा साहू, उप अभियंता, नगर पालिक निगम, के संयुक्त दल ने विद्यालय का निरीक्षण कर प्लास्टर मरम्मत एवं छत के वाटर प्रुफिंग हेतु प्राक्कलन तैयार किया। नगर पालिक निगम के द्वारा प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति के अनुसार कलेक्टर बिलासपुर द्वारा मरम्मत कार्य हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से 1 लाख 98 हजार रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया। नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा आज से ही विद्यालय का मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर 20 वाहन जप्त

बिलासपुर। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम दिनांक 13.03.2024 एवं 14.03.2024 को सरकंडा, रतखण्डी, पौसरा एवं सिविल लाईन क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की गई तथा बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करने पर अवैध रेत परिवहन के 10, चूनापत्थर के 04 मामलों सहित कुल 14 मामलो पर कार्यवाही करते हुए 08 ट्रैक्टर, 06 हाईवा जप्त कर थाना कोटा, थाना सरकण्डा एवं थाना सिविल लाईन में सुरक्षार्थ रखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी तखतपुर के द्वारा भी मुरू क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन के प्रकरण दर्ज करते हुए 06 वाहनों को जप्त कर दिनांक 03.03.2024 को प्रकरण बनाया गया था। जिस पर अवैध मुरूम उत्खननकर्ताओं पर अपर कलेक्टर द्वारा अर्थदण्ड राशि रू. 75,000/- आरोपित कर जमा कराया गया है। जिला बिलासपुर अंतर्गत अरपा नदी में सेन्दरी, कोनी, मंगला, घुटकु, निरतु, कछार, लोफंदी, तुरकाडीह को अवैध रेत खनन हेतु संवेदनशील मानते हुए रेत उत्खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों पर पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन परिवहन के मामले दर्ज होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

आमजनो के लिए जिला जी.पी.एम. मे शिकायत हेल्प लाईन समाधान का किया गया शुभारंभ

स्वदेश/जीपीएम। जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के द्वारा आम जनता से सीधे संवाद हेतु शिकायत हेल्प लाईन समाधान का आज शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एवं जिलावासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सीधे संम्पर्क मे आ सके इसको ध्यान रखते हुए व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है जिसका नंबर 94791-91792 है। इसके माध्यम से आम जनता अपनी बात को पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुचा सकते है। आमजन अपनी शिकायत, कोई गोपनीय सूचना, अवैध गतिविधी की सूचना दे सकते है इस हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे एक

विशेष टीम का गठन किया गया है जो प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओ पर कार्यवाही की मानिटरिंग करेगें। प्राप्त शिकायतो का 03 से 07 दिवस के भीतर निराकरण किया जाएगा। गोपनीय सूचना देने वाले आमजनो पहचान गुप्त रखी जाएगी।

दावा आपत्ति 19 तक

बिलासपुर। अम्बा होम्स आवासीय सहकारी समिति मर्यादित टिकरापारा की मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन कर दिया गया है। सूची के संबंध में दावा आपत्ति 19 मार्च तक कार्यालयीन समय में सोसाइटी कार्यालय में समिति प्रबंधक श्री शरद दुबे के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण और सदस्यों के अंतिम सूची का प्रकाशन 20 मार्च को किया जावेगा।

न्यायालय नायब तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.

//ईश्तहार//

रा.प्र.क्र./अ-6अ/2023-24

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ क्रेता जोगेन्द्र मांझी पिता रामकिशोर मांझी निवासी ग्राम भरकुरा पोस्ट दर्री तहसील पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर छ.ग. द्वारा मौजा महमंद प.ह.नं. 44 स्थित भूमि ख.नं. 208/6 रकबा 2250 वर्गफुट बंदोबस्त नं. 472 द्वारा विक्रेता जोगेन्द्र मांझी पिता राम किशोर मांझी से दिनांक 23/06/2016 को क्रय किया गया है। भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में ऑन लाईन रिकार्ड में प्रविष्ट नही होने के कारण रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अंतर्गत अभिलेख सुधार बाबत अनुविभागीय अधिकारी रा. बिलासपुर के माध्यम से जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

तदसंबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से लिखित में नियत तिथि **08/04/2024** तक दावा/ आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक **13/03/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.

लाभार्थी संपर्क अभियान : विधायक पुन्नूलाल मोहले जा रहे घर घर, किया राशन कार्ड का वितरण

स्वदेश/मुंगेली। लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत आज नगर के सुभाष वार्ड, परमहंस वार्ड एवं अंबेडकर वार्ड सहित सभी 22 वार्ड में लाभार्थियों से संपर्क किया गया। इस अवसर पर विधायक पुन्नूलाल मोहले, जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक, नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं प्रभारी अध्यक्ष मोहन मल्लाह एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

विधायक पुन्नूलाल मोहले आज सर्वप्रथम सरदार पटेल सभा भवन पहुँचकर उपस्थित हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड का वितरण किया। इसके पश्चात सुभाष वार्ड पहुंचे और वहां पर लाभार्थी जिन्होंने गैस सिलेंडर, पीएम आवास, फ्री राशन, महतारी वंदन, आदि अन्य विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया है ऐसे लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें

फूलमाला पहनाकर बधाई दी। सुभाष वार्ड के बाद वे परमहंस वार्ड तथा शिक्षक नगर अंबेडकर वार्ड पहुंचकर लाभार्थियों से उनके घर-घर जाकर संपर्क किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं प्रभारी अध्यक्ष मोहन मल्लाह, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य राजेन्द्र वैष्णव, मानस प्रताप सिंह, नगर मण्डल महामंत्री मुकेश रोहरा, सुनील पाठक, कोटूमल दादवानी, समीर आहिरे, जितेंद्र दावड़ा, गणेश बाजपेयी, प्रवीण सोनी, राजेन्द्र देवांगन, राजहंस तंबोली, अंनत देवांगन, बद्री खांडेकर, लेखु साहू, धनराज सिंह आदि उपस्थित रहे।

12 वी की परीक्षाएं शांति पूर्ण संचालित हो रही

तखतपुर। नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जिसमें केन्द्राध्यक्ष एस के पांडेय व सहायक केन्द्राध्यक्ष बी आर सुर्यवंशी की उपस्थिति में परीक्षाएं शांति पूर्ण संचालित हो रही है। 12वीं कक्षा की गुरूवार को रसायन शास्त्र, राजनीति व लेखा शास्त्र की परीक्षा हुई। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12:15 तक रही। इन स्कूलों की परीक्षार्थी शामिल हुए, गुरुकुल उ मा विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, शा जे एम पी बालक उ मा विद्यालय, स्वामी आत्मानंद जे एम पी उ मा विद्यालय, सेवेन्टी प्लस उ मा विद्यालय आदि। परीक्षा कुल 12 कक्षो में संचालित हुए। जिसमें 391 परीक्षार्थियों में 05 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हालांकि परीक्षा केन्द्र में अभी तक कोई भी नकल का मामला सामने नहीं आया है।

जय वन्दे मातरम रुद्रानी सेना ने किया महिलाओं का सम्मान

स्वदेश/बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में जय वन्दे मातरम् रुद्रानी सेना द्वारा महिला सम्मान समारोह का कार्यक्रम के सामुदायिक भवन मुरूम खदान में किया गया जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया खेलकूद कराया गया कुर्सी दौड़ कराया गया व साथ ही महिलाओ द्वारा नाच गाना किया गया। और साथ ही अन्य प्रतियोगिताओ का आयोजन कराया गया एवं विजेताओ को उपहार के साथ सम्मानित किया गया कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण एवं जय वन्दे मातरम रुद्रानी सेना के पदाधिकारी और सदस्य रहे अतिथि राजेंद्र सिंह प्रदेश संयोजक, जय वंदे मातरम संगठन छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 58

की पार्षद श्रीमती कमला पुरुषोत्तम पटेल उपस्थित रहे साथ ही दुष्यंत सिंह, नगर उपाध्यक्ष, जय वंदे मातरम संगठन, तरुण सरोज, प्रदेश सह मंत्री, जय वंदे मातरम संगठन रिशु शर्मा जिला उपाध्यक्ष रुद्राणी सेना जय वंदे मातरम संगठन अनामिका दुबे, विभाग सह संयोजिका रुद्रानी सेना जय वन्दे मातरम संगठन व श्री जय राम सेवा धर्म संस्थान छत्तीसगढ़ प्रभारी बीनू अग्रवाल, मनोज बेकरी की ओनर, सुश्री रूपाली श्रीवास्तव, नगर संयोजिका रुद्राणी सेना पल्लवी मैडम नगर निगम से कविता महंतो जी उपस्थित रहे सभी अतिथिगण उपस्थित रहे और रन्द्राणी सेना द्वारा सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में उपस्थित रन्द्राणी सेना महिला सशक्ति की अध्यक्ष पूजा प्रजापति, कुसुम महेश्वरी, हेमलता साहू, रानू सोनी व अन्य सैकड़ो की संख्या मे सदस्यगण उपस्थित रहे।

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) CIN: U40108CT2003SGC015821

NO.021-1710/PUBLICATION/1257 Korba West, dtd. 13.03.2024

TENDER NOTICE No. 285/2024. (e Bidding)

Online tenders are invited from experienced & prospective bidders for the following Works:

S. No	Tender No.	Particulars	Cost of tender doc.	E.M.D. (Rs.)	Last date and time of submission
1.	RFX No. 8100036622	Cleaning of Mill reject & its transportation of 1x500 MW, HTPS, Korba West.	590/-	10,170/-	03.04.2024
2.	RFX No. 8100036620	Daily cleaning work of boiler structure from 3 mtr to 85 mtr of 1x500 MW, HTPS, Korba West.	590/-	5,560/-	03.04.2024
3.	RFX No. 8100036623	Annual contract for the work of assistance to department staff of EMD in day to day maint. And periodical maint. work and other related work at HBHPS, Machadoli.	590/-	12,890/-	04.04.2024

NOTE:- 1. Payment of Tender cost & EMD shall be done online through e-bidding portal. The tender documents can be seen from our website www.cspc.co.in–e-Bidding. 2. Quantity as per tender schedule.

SUPERINTENDING ENGINEER (C-II) O/o THE ADDL. CHIEF ENGINEER (S&P) HTPS, CSPGCL, KORBA WEST

SAVE ENERGY FOR THE BENEFIT OF SELF & NATION

छत्तीसगढ़ संवाद-40051/2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर

मामले की श्रेणी: राजस्व

//ईश्तहार//

RD202324400107700020

तहसील बिलासपुर के प.ह.नं. 00030 के अंतर्गत ग्राम बिजौर के वर्तमान भूमि स्वामी राहुल बंसोड पिता/ पति श्याम राव बंसोड़ पता सा तारबहार के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 177/10 (0.0111) में प्रस्तावित भूमि स्वामी/ क्रेता श्याम राव बंसोड पिता माधव राव पता लिंगियाडीह बिलासपुर के नाम पर पंजीयन/ फौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरूस्ती /खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक **03/04/2024** को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति /संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं /अधिवक्ता /आम मुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक **12/03/2024** को जारी किया जाता है।

अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी बिलासपुर छ.ग.

//ईश्तहार//

रा.प्र.क्र.181/अ-20(1)/2023-24

पक्षकार- श्रीमती अंबिका चतुर्वेदी पति शशीकांत चतुर्वेदी- आवेदिका

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन- अनावेदक

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदिका श्रीमती अंबिका चतुर्वेदी पति श्री शशीकांत चतुर्वेदी निवासी चितले कॉलोनी तिलक नगर बिलासपुर छ.ग.के द्वारा स्वतः/ अधिवक्ता के माध्यम से नगर पालिक निगम बिलासपुर के मोहल्ला चांटापारा शीट नंबर 10 प्लाट नंबर 05 रकबा 1165 वर्गफीट भूमि को स्थायी पटटे पर आवासीय/ व्यवसायिक उपयोग हेतु उसके नाम से स्वीकृत है। जिसका पटटा समाप्ति की तिथि 31/03/2024 के लिये आवेदक/ आवेदिका अगले 30 वर्षो के लिये उपरोक्त भूमि का नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/ आवेदिका की स्थायी पटटे की लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उक्त भूमि के नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक **27/03/2024** को स्वतः/ अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शाम 5.30 बजे तक उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इसके पश्चात तिथि/ समय में आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा एवं आवेदक/ आवेदिका की स्थायी पटटे की लीज नवीनीकरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति विचारणीय नही होगा।

आज दिनांक **12/03/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी बिलासपुर

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.

//ईश्तहार//

क्रमांक/क/तह./वा./2024

बिलासपुर दिनांक 28/02/2024

ग्राम मोपका के सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि मौजा मोपका प.ह.नं. 19/29 तहसील व जिला बिलासपुर स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 992/4, 992/6, 922/7 में से रकबा 5000 वर्गफुट भूमि की न्यायालय कलेक्टर (भू-बंटन शाखा) बिलासपुर के रा.प्र.क्र. 27/अ-19(1)/ 2022-23 आदेश दिनांक 20/04/2023 के अनुसार नामांतरण किये जाने के लिए आवेदक संस्था सेन्ट्रल बंगाली एसोसिएशन बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग. द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक **18/03/2024** को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक **28/02/2024** को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार बिलासपुर

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.

//ईश्तहार//

क्रमांक/क/तह./वा./2024

बिलासपुर दिनांक 14/03/2024

ग्राम मोपका के सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम मोपका प.ह.नं. 29 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 795/1 रकबा 0.1170 हे. एकड़ भूमि की नामांतरण/ फौती के आधार पर किये जाने के लिए श्री राज कुमार ध्रुव पिता लखन ध्रुव निवासी मन्नाडोल तिफरा द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक **18/03/2024** को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक **14/03/2024** को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार बिलासपुर

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.

//ईश्तहार//

क्रमांक/क/तह./वा./2024

बिलासपुर दिनांक 21/03/2024

ग्राम खमतराई के सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम खमतराई प.ह.नं. 25 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 982/30 रकबा 800 व.फु. एकड़ भूमि की नामांतरण विक्रय विलेख/ फौती/ वसीयतनामा/ दानपत्र के आधार पर किये जाने के लिए श्रीमती नसरीन फात्मा पति मोहम्मद मुस्लिम निवासी तारबहार बिलासपुर द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक **26/03/2024** को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक **21/02/2024** को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार बिलासपुर

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर छ.ग.

//ईश्तहार//

क्रमांक/क/तह./वा./2024

बिलासपुर दिनांक 14/03/2024

ग्राम खमतराई के सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम खमतराई प.ह.नं. 25 तहसील बिलासपुर स्थित भूमि ख.नं. 976/8 में से रकबा 590 हे. एकड़ भूमि की नामांतरण विक्रय विलेख /फौती /वसीयतनामा / दानपत्र के आधार पर किये जाने के लिए श्री/श्रीमती लक्ष्मी देवागंन पिता/पति रमेश देवांगन निवासी कतियापारा बिलासपुर द्वारा आवेदन किया गया।

यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति/ दावा हो तो मेरे न्यायालय में दिनांक **28/03/2024** को सुबह 11.00 स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति स्वीकार नही किये जावेगें।

आज दिनांक **14/03/2024** को मेरे पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी।

तहसीलदार बिलासपुर

GRIHUM HOUSING FINANCE Apna Ghar. Apni Pehchan.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालय: 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंधवा रोड, पुणे - 411036 ब्रांच ऑफ यूनिट: पहली मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर -492099 (छत्तीसगढ़)।

ई-नीलामी-बिक्री सूचना
SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़ें। सूचना इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। 17 नवंबर 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद इसे 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' के रूप में जाना जाता है) अधिनियम के अनुसार), जिसका कब्ज़ा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत।
सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 23/02/2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट- https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

सं. क्र.	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	संरक्षित कीमत {ई}	ईएमडी (आरपी का 10%) {एफ}	ईएमडी सबमिशन दिनांक {जी}	इंक्रीमेंटल बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामले यदि कोई भी {के}
1	ऋण संख्या HL/0024/H/15/100070 दिनेश कुमार जगता (उधारकर्ता), साधना जगत (सह-उधारकर्ता)	नोटिस दिनांक: 10/08/2023 कुल बकाया: 1086493.37 (रुपये दस लाख छियासी हजार चार सौ तिरानवे पैसे सैंतीस मात्र) 10/08/2023 को @ 14.80% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देय वसूली होने तक.	भौतिक	राजस्व सर्वेक्षण क्रमांक 63 क्षेत्रफल 0.20 एकड़ और 64/3 क्षेत्रफल 0.36 कुल क्षेत्रफल 0.56 एकड़ 24394 वर्गफुट, इसमें से उधारकर्ता 2200 वर्गफुट खरीदेगा, मौजिया-रानीसागर में स्थित, पटवारी सर्किल नं. 13/32, नगर पालिका समिति कोआ, ब्लॉक, आरएलसर्कल और तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) की सीमा के भीतर	रु. 5,45,738/- (पांच लाख पैंतालीस हजार सात सौ अडतीस रूपये)	रु. 54,573.8/- (रुपये चौवन हजार) पाँच सौ तिहत्तर और केवल आठ पैसे)	28/03/2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	22/03/2024 (11 पूर्वाह्न-4 अपराह्न)	30/03/2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	नहीं

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-बोली के लिए अनिवार्य है। पता- प्लॉट नंबर-68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी - Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति - विनोद चौहान, ईमेल आईडी - delhi@cvindia.com संपर्क नंबर - 9813887931. कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी। खाता संख्या-00651000460 और आईएफएससी कोड- आईसीआईसी0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड-कोलकाता-700001, किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से 13/03/2024 को या उससे पहले निकाला गया और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और प्राप्त करें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ई-मेल करना होगा और पते पर स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी भेजनी होगी- पहली मंजिल, चावला कॉम्प्लेक्स, साई नगर, रायपुर-492099 ((छत्तीसगढ़) मोबाइल नं. +91 8588802671 और +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.r1 @grihumhousing.com .
ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं। इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को 15 दिनों का नोटिस माना जाना चाहिए।

दिनांक : 15.03.2024 स्थान : छत्तीसगढ़

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)